



2026:AHC:4292

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 42 वर्ष 2026

देव सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : रामेन्द्र कुमार शुक्ला

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर .के. शुक्ला और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद के तर्कों को सुना।
- याचिकाकर्ता का दावा है कि वह 1993 से वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभा शंकर दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य: सिविल अपील संख्या 10956 2018 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुट्टी लाल (2002) खंड 2 यूपीएलबीईसी 1595 के फैसले के मद्देनजर न्यूनतम वेतनमान यानी 18,000 रुपये के भुगतान की मांग करता है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय चौथे प्रतिवादी, प्रबंधकीय वनाधिकारी, ओबरा, वन प्रभाग, ओबरा, जिला सोनभद्र द्वारा किया जाएगा।
- उपरोक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह 22.01.2026 तक चौथे प्रतिवादी, प्राभागीय वनाधिकारी, ओबरा, जिला सोनभद्र के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, चौथे प्रतिवादी तीन माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

8 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।